केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं	CICOM/A/P/25/00094
संदर्भ संचिका सं .	CICOM/R/P/25/00155
अपीलकर्ता	श्री कन्हैयालाल पहलजानी

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	17.03.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	21.03.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	26.03.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बिजेंद्र कुमार CPIO, (DR to IC AR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	07.04.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	29.04.2025
निर्णय की तारीख	09.05.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 17.03.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : .

"1.) वरिष्ठ नागरिक आवेदक को CIC/RBIND/C/2024/127490 की जल्दी सुनवायी की जल्दी तारीख की सूचना प्रदान करें।"

2. प्रदान की गई सूचना

श्री बिजेंद्र कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 26.03.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

"All request for Early hearing are put to Information Commissioner and only after approval of Information Commissioner an early hearing is fixed. In your case the Copy of RTI Application submitted by you is not legible at all as a result your case had not

been put up before Information Commissioner. You are requested to provided a clear copy of RTI Application so your request for early hearing can be processed."

3. प्रथम अपील का आधार

CICOM/R/P/25/00155 में CPIO ने जानकारी दी है की RTI आवेदन Legible नहीं है इसलिए शीघ्र सुनवाई के लिए सूचना आयुक्त को सबमिट नहीं की गई है आपको RTI के ताजा सुपाठ्य प्रति भेज रहा हूँ कृपया सूचना आयुक्त से वरिष्ठ नागरिक के अधिकार के आधार पर जल्दी सुनवाई की तारीख की जानकारी प्रदान कराए।

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00155 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। परन्तु आपने अपनी प्रथम अपील में कहा कि RTI की ताजा सुपाठ्य प्रति भेज रहा हूँ जो की नहीं भेजी। आपको अपनी प्रथम अपील के साथ द्वितीय अपील सं CIC/RBIND/C/2024/127490 में जो RTI लगाई थी वो भेजनी थी जैसा कि आपको केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 26.03.2025 में बताया गया था। ताकि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी आपकी फाइल को जल्दी सुनवाई के लिए अग्रसरित कर सके। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक - 09.05.2025 .

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

13/5/25

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
13 MAY 2025
D. No. ....
Initials..........